तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 04 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 04	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 12 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 17
दायर दिनांक :– 17.01.2025 निर्णय दिनांक :– 10.05.2025

1. सिकन्दर पुत्र कादर खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. सरादीन पुत्र अलीमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडा तहसील व जिला जोधपुर
2. भंवराराम पुत्र मीराराम जाति जाट निवासी ठोब तहसील ओसिया जिला जोधपुर
3. रलीमत पत्नी रायधनखां जाति मुसलमान निवासी गुडा तहसील व जिला जोधपुर
4. अमीनत पुत्री नवलेखां उर्फ नभे खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप
5. अलाबराया पुत्र ममुदखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. अलीशेर पुत्र नवलेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. असरफ पत्नी मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. इकबाल पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. इजता पत्नी करीम खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. कासमखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. गुलामरसुल पुत्र नवलेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
12. जैनफ पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
13. नूरदीन पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
14. बिलाल खां पुत्र ममुद खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
15. रमजान खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
16. लतीफखां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
17. शकुर खां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
18. सदीक खां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
19. सहीदुल्ला पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
20. हजुर खां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
21. हबीबों पत्नी नवलेखां उर्फ नभेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तह. बाप जिला फलोदी
22. हुसैन खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
23. हासम खं पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
24. अलाबगस पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

10/5/25

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गोदाराम अ.सं.11, 13, 19
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 264/246 रकबा 1.3165 हैक्टेयर ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 13.11.2024 को जारी आदेश क्रम संख्या 81 की पालना में दिनांक 25.11.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 25.11.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 24 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 25.11.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 25 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10, 12, 14 ता 18 व 20 ता 24 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 11, 13, 19 की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 264/246 रकबा 1.3165 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर

10/5/25

तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 25.11.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11, 13, 19 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया उक्त पैमाईश फर्द जवाबदाता की अनुपस्थिति में बनाई गई होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान में कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी की भूमि का जमाबंदी में रकबा कम है तथा भू–नक्शा ज्यादा बना हुआ है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 11, 13, 19 की भूमि की जमाबंदी में रकबा अधिक है तथा भू–नक्शा में कम रकबा का बना हुआ है इसलिये प्रार्थी व जवाबदाता की भूमि में अनाधिकृत अपनी गलत जमाबंदी के आधार पर प्रवेश करना चाहता है। कणा माठ को प्रार्थी तोडने पर आमदा है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत की मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश नहीं करवाई गई होने से तथा प्रार्थना पत्र में सभी पडोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 264/246 रकबा 1.3165 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 25.11.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 264/246 रकबा 1.3165 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 25.11.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)